	क्षेत्र	मद	1990-91	1995-96
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सूती / मानव निर्मित फाईबर	यार्न (मि०कि०ग्रा०)	1824	2273
2.	वस्त्र मिल क्षेत्र	कपड़ा (मि०मि०)	2589	2019
3.	विद्युत करघा क्षेत्र	कपड़ा (मि० वर्ग मी०)	13340	7050
4.	हथकरघा	कपड़ा (मि०वर्ग मी०)	4295	7020

(ग) और (घ) भारतीय वस्त्र उद्योग में विविध क्षेत्र शामिल हैं नामतः मिल क्षेत्र विद्युतकरघा, हथकरघा आदि। उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए नीति परक हस्तक्षेप, जिसमें वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रोत्साहनों का निर्धारण करना शामिल है / उपाय किए जाते हैं जो कि वर्ष 1985 की वस्त्र नीति में निर्धारित व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं तथा यह एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में वस्त्र उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए समय-समय पर विविध कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:—

मिल क्षेत्र: रुग्ण औद्योगिक एककों के कार्यचालन की जांच करने के लिए बी आई एफ आर की स्थापना करना तथा मिलों के पुनरुद्धार के लिए यथोचित योजनाओं को तैयार तथा स्वीकृत करना, लाइसेंसिंग प्रावधानों का उदारीकरण करना, वित्तीय पुर्नसंरचना करना, ओ जी एल के अंतर्गत वस्त्र मशीनरी के आयात की अनुमति देना तथा ऐसे आयातों पर सीमा शुल्क को कम करना, अनुसंधान तथा विकास करना आदि।

विद्युत करघा: विद्युतकरघा सेवा केन्द्र, कम्प्यूटर सहायित डिजाइन (सी ए डी) केन्द्रों को चलाना तथा विद्युतकरघा विकास तथा निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करना।

हथकरघा: हैंक यार्न दायित्व योजना के कार्यान्वयन के द्वारा हथकरघा क्षेत्र को यार्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, केवल हथकरघा क्षेत्र द्वारा ही विनिर्माण के लिए कुछ मदों का आरक्षण करना, प्लेन रील में सूती तथा सेलूलोसिक स्पन यार्न को शुल्क की पूर्णतया छूट देना, हथकरघा सहकारी समितियों (एच सी एस) द्वारा क्रोस रील हैंक यार्न की खरीद के मामले में शुल्क की रियायती दर की अनुमति देना, पंजीकृत एच सी एस द्वारा विस्कोस फिलामेंट यार्न की खरीद के लिए शुल्क की रियायती दर की अनुमति देना, एच सी एस के स्वामित्व वाली फैक्ट्री द्वारा प्रसंस्कृत हथकरघा क्षेत्र के सूती फैब्रिकों को शुल्क से छूट देना, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र प्रसंस्करण कर्ताओं द्वारा प्रसंस्कृत हथकरघा फैब्रिक्स के मामले में शुल्क की रियायती दर की अनुमति देना, एस सी एस द्वारा प्रसंस्कृत हथकरघा तथा ऊनी फैब्रिक को शुल्क से छूट देना, तथा एस सी एस को अपरिष्कृत ऊन के आयात के लिए शुल्क से छूट देना।

कपास निर्यात का लक्ष्य

1302. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1995-96 के लिए कपास के निर्यात के लिए एक मात्रा निर्धारित की थी;

(ख) यदि हां, तो वह मात्रा कितनी थी और क्या कपास का निर्यात निर्धारित लक्ष्यानुसार दिया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो निर्यात की मात्रा कितनी थी और निर्धारित लक्ष्यानुसार निर्यात न हो पाने के क्या कारण थे;

(घ) क्या सरकार कपास के निर्यात को प्रतिबंधित मदों की सूची से हटाकर इसे स्वतंत्र करने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): क) सरकार ने कपास के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि, सरकार कपास के उत्पादन के

अनुमान, उपलब्धता, खपत, संभावित बेशी, कीमत की प्रवृतियों आदि सहित सभी संबद्ध कारकों पर विचार करने के लिए कपास के निर्यात कोटों की घोषणा करती है।

(ख) और (ग) 1995-96 के कपास के मौसम के दौरान निर्यात के लिए कुल 15.90 लाख गांठों की रिलीज की गई। 20 फरवरी, 1997 तक की स्थिति अनुसार कुल 12.24 लाख गांठें निर्यात की गई हैं। कुछ परिसंघ/एजेंसियां समग्र निर्यात कोटे का उपयोग करने में असमर्थ रही हैं जिसके अनेक कारण है जिनमें वित्तीय कठिनाइयां, कपास की अपर्याप्त अधिप्राप्ति अथवा उनके स्तर की कपास के लिए पर्याप्त क्रेताओं का न मिल पाना आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ) सरकार का कपास के निर्यात को मुक्त बनाने का प्रस्ताव नहीं है। कपास के निर्यात की अनुमति प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा रिलीज किए जाने वाले कोटों के आधार पर की जाती है। इस संबंध में सरकार की नीति का उद्देश्य उपजकर्ताओं तथा प्रयोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है। नीति का उद्देश्य कपास उपजकर्ताओं को लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करने के साथ-साथ विशेषकर विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ता क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखना है।

Amount from National Renewal Fund for Workers of Sick Textile Mills at Ahmedabad

1303. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have been requested to release funds from National Renewal Fund to protect the interests of the workers of sick textile mill workers at Ahmedabad;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any action has since been taken on such requests;

(d) if so, the details thereof; and if not, the reasons therefor;

(e) whether Government propose to release funds at their own from National Renewal Fund to protect the interest of sick textile mills workers of country; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) to (f) Government of Gujarat have requested for assistance from the National Renewal Fund (NRF) for restructuring of sick mills of Gujarat State Textile Corporation Ltd. The amount of assistance sought from the National Renewal Fund for the above proposal is Rs. 96.83 crs. However, the assistance from the NRF is presently, restricted to Voluntary Retirement Schemes in Central Public Sector Undertakings and to the schemes for conselling, retraining and redeployment of rationalised workers.

Packing Sugar/Cement in Jute Bags

1304. SHRI V. NAMUMATHA RAO: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whetehr it is a fact that Government are encouraging jute industry;

(b) Whether any efforts are being made to ensure that Cement and Sugar Industries purchase jute bage for packaging; and

(c) If so, the details thereof?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) Yes Sir.

(b) and (c) Under Orders issued by Central Government from time to time in exercise of powers conferred by subsection (1) of Section (3) of Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987, as per the last order dated 15.3.95 issued by the Government Cement Industry is requried to use jute packaging materials for packing 50% of Cement production for supply or distribution within the country while sugar industry is required to use jute bags exclusively for packing in production of sugar. Show cause notices have been issued by the Jute Commissioner to the defaulting units.